संख्या- 139 /2024 / 883 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय:-कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1521/भा0सं0वि0वि0-5(14)/2023, दिनांक 29 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना के संबंध में शासनादेश संख्या- 1992/चार-2023 दिनांक 16 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 656-चार-2024- 1688649 दिनांक 27 फरवरी, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(5) उपरोक्त धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था- योजना की नोडल संस्था भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लखनऊ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

(7) राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-कल्चरल क्लब की स्थापना- 42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 139 /2024 / 883 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलपति, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।